विकल्प H: प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी के 50% के लिए प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी	71,100
विकल्प I: जब तक कोई एक वार्षिकीग्राही जीवित है, तब तक देय वार्षिकी के 100% के लिए प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी	68,300
विकल्प J: जब तक एक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक देय वार्षिकी के 100% तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के लिए प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी	64,900
आस्थगित वार्षिकी:	
विकल्प 1 : एकल जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी	206,600
विकल्प 2 : संयुक्त जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी	227,200

उपर्युक्त विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु-लाभों के लिए कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 2 देखें।

9. विकल्प:

i) **मृत्यु-लाभ के भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प:**

सभी वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत जहाँ मृत्यु होने पर लाभ देय है अर्थात् तात्कालिक वार्षिकी के अंतर्गत विकल्प F और विकल्प J एवं आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत दोनों विकल्पों के अंतर्गत नामित व्यक्ति(यों) को मृत्यु-लाभ के भुगतान के लिए वार्षिकीग्राही(वार्षिकीग्राहियों) को निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होगा। तब मृत्यु दावा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार किया जाएगा तथा नामित व्यक्ति(यों) द्वारा किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

- **एकमुश्त मृत्यु-लाभ** : इस विकल्प के अंतर्गत सारा क्रय मूल्य / मृत्यु-लाभ नामित व्यक्ति(यों) को एकमुश्त देय होगा।
- **मृत्यु-लाभ का वार्षिकीकरण** : इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय लाभ की राशि का उपयोग नामित व्यक्ति(यों) के लिए निगम से एक तात्कालिक वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। मृत्यु-दावे की स्वीकृति पर नामित व्यक्ति(यों) को देय वार्षिकी की राशि नामित व्यक्ति(यों) की आयु और वार्षिकीग्राही (संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवी) की मृत्यु की तारीख को प्रचलित तात्कालिक वार्षिकी दरों पर आधारित होगी। इस विकल्प का उपयोग मृत्यु पर देय लाभ की राशि पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक नामित व्यक्ति(यों) के लिए वार्षिकी की भुगतान उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना के पात्रता शर्तों और उस समय वार्षिकियों के लिए न्यूनतम सीमाओं के संबंध में प्रचलित विनियामक उपबंधों के अधीन होंगे।
- **किस्तों में :** इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय लाभ एकमुश्त राशि के बदले 5 अथवा 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का प्रयोग पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु-लाभ को पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। वार्षिकीग्राही/प्राथमिक वार्षिकीग्राही द्वारा विकल्प दी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) संपूर्ण मूल्य (ऐबसल्यूट वैल्यू) में अथवा देय कुल दावा आगम राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

उक्त किस्तों का भुगतान विकल्प दिये गये रूप में वार्षिक अथवा छमाही अथवा तिमाही अथवा मासिक अंतरालों पर अग्रिम रूप से किया जाएगा जो नीचे बताये गये रूप में भुगतानों की विभिन्न विधियों के लिए किस्त की न्यूनतम राशि के अधीन होगा:

किस्त के भुगतान की विधि	किस्त की न्यूनतम राशि
मासिक	रु. 5000/-
तिमाही	रु. 15000/-
छमाही	रु. 25000/-
वार्षिक	रु. 50000/-

यदि निवल दावा राशि वार्षिकीग्राही / प्राथमिक वार्षिकाग्राही द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार किस्त की न्यूनतम राशि देने के लिए अपेक्षित राशि से कम है, तो किस्त की आगम राशि का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

इस विकल्प के अंतर्गत किस्तों के भुगतानों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जाएगी।

ii) एनपीएस अभिदाता द्वारा तात्कालिक वार्षिकी (सभी वार्षिकी विकल्प) लेने का विकल्प समय-समय पर लागू पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अधीन होंगे।

iii) इस योजना को क्युआरओपीएस (मान्यताप्राप्त विदेशीपेंशन योजना योग्यता) के रुप में खरीदने का विकल्प:

यह योजना क्युआरओपीएस के रुप में यूके(UK) कर राहत प्राप्त संपत्तियों के हस्तांतरण के माध्यम से एचएमआरसी (हर मेजस्टी रेविन्यू एण्ड कस्टम्स) द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन खरीदी जा सकती है।

i) वार्षिकी भुगतान के लिए न्युनतम आयु 55 वर्ष होगी (तात्कालिक वार्षिकी के तहत न्युनतम प्रवेश की आयु 55 वर्ष होगी और आस्थिगत वार्षिकी के तहत न्युनतम निहित होने की आयु 55 वर्ष होगी)

ii) अगर म्री लूक अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द की जाती है, रद्दकी गई पॉलिसी की आगम राशि का हस्तांतरण उस निधि कोश को किया जाएगा जहाँ से यह राशि प्राप्त हुई थी।

iii) एचएमआरसी के अन्य नियम एवं शर्तें जिस प्रकार समय-समय पर लागू होती रही है उसी प्रकार होंगी।

iv) <u>विकलांग (दिव्यांगजन) आश्रित व्यक्ति के लाभ के लिए प्लान लेने का विकल्प:</u>

यदि प्रस्तावक के पास विकलांग आश्रित (दिव्यांगजन) है तो यह प्लान निम्नलिखित पद्धतियों में दिव्यांगजन के लिए खरीदी जा सकती है।

क) प्रस्तावक अपने स्वयं के जीवन पर एकल जीवन आस्थगित वार्षिकी (विकल्प 1) अथवा क्रय मूल्य की वापसी के साथ एकल जीवन तात्कालिक वार्षिकी (विकल्प F) खरीद सकता है। वार्षिकीग्राही (प्रस्तावक) की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु-लाभ का उपयोग अनिवार्यतः दिव्यांगजन के जीवन पर तात्कालिक वार्षिकी खरीदने के लिए (वार्षिकीग्राही द्वारा चुने गये विकल्प के अनुसार) किया जाएगा।

ख) प्रस्तावक द्वितीयक वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांगजन को लेते हुए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी (विकल्प I अथवा J) खरीद सकता है।

दिव्यांगजन को वार्षिकी का भुगतान न्यूनतम वार्षिकी के भुगतान के संबंध में किसी सीमा अथवा क्रय मूल्य मानदंड का विचार किये बिना किया जाएगा। उपरोक्त अनुच्छेद 4 में यथाविनिर्दिष्ट प्रवेश पर न्यूनतम आयु के प्रतिबंध, दिव्यांगजन के जीवन के लिए लागू नहीं होंगे।

10. अभ्यर्पण मूल्य:

पॉलिसी का अभ्यर्पण पॉलिसी पूरी होने से तीन महीने (अर्थात् पॉलिसी जारी करने की तारीख से 3 महीने) के बाद अथवा फ्री-लुक अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, के बाद किसी भी समय केवल निम्नलिखित वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत किया जा सकता है:

क. तात्कालिक वार्षिकी-
- विकल्प F: क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए तात्कालिक वार्षिकी।
- विकल्प J: जब तक कोई एक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है तब तक देय वार्षिकी के 100% और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ जीवन के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी।

ख. आस्थगित वार्षिकी-
- विकल्प 1: एकल जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी
- विकल्प 2: संयुक्त जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी

यदि चयन किया गया वार्षिकी विकल्प ऊपर विनिर्दिष्ट से भिन्न है, तो पॉलिसी के अभ्यर्पण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने पर पॉलिसी का समापन हो जाता है तथा अन्य सभी लाभ समाप्त होते हैं।

अभ्यर्पण के समय देय अभ्यर्पण मूल्य / पॉलिसी निहित करने की तारीख को वार्षिकीग्राही की आयु (अंतिम जन्मदिन) पर निर्भर होगा।

टिप्पणी: बीमा पॉलिसी दीर्घकालिक संविदा होने के कारण इसे पॉलिसी जारी रखने के परिप्रेक्ष्य से लिया जाना चाहिए। जबकि ऊपर उल्लिखित विभिन्न वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण के लिए प्रावधान है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पॉलिसी के अभ्यर्पण पर काफी नुकसान हो सकता है तथा इस कारण से यह उपयुक्त होगा कि पॉलिसी को जारी रखा जाए।

11. ऋण:

ऋण की सुविधा 1 पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद उपलब्ध होगा। पॉलिसी ऋण की अनुमति केवल निम्नलिखित वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत ही होगी:

क. तात्कालिक वार्षिकी-
- विकल्प F: क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए तात्कालिक वार्षिकी।
- विकल्प J: जब तक कोई एक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है तब तक देय वार्षिकी के 100% तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी के लिए प्रावधान के साथ जीवन के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी।

ख. आस्थगित वार्षिकी-
- विकल्प 1: एकल जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी
- विकल्प 2: संयुक्त जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी

निगम के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

12. कर:

भारत सरकार अथवा किसी अन्य भारतीय संवैधानिक कर प्राधिकरण के द्वारा ऐसी बीमा प्लानों पर लगाये गये सांविधिक कर, यदि कोई हों, कर कानूनों और समय-समय पर लागू कर की दर के अनुसार होंगे।

किन्हीं भी लागू करों की राशि प्रचलित दरों के अनुसार पॉलिसी के अंतर्गत देय क्रय मूल्य पर देय होगी, जो पॉलिसीधारक द्वारा देय क्रय मूल्य के अतिरिक्त, अलग से वसूल की जाएगी। अदा की गई कर की राशि पर प्लान के अंतर्गत देय लाभों के परिकलन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

13. फ्री-लुक अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी की शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी आपत्तियों के लिए कारण बताते हुए पॉलिसी बांड की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन (यदि पॉलिसी ऑनलाइल खरीदी गई हो तो 30 दिन) के अंदर निगम को लौटाई जा सकती है। पॉलिसी वापस प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को निरस्त करेगा तथा मुद्रांक शुल्क के लिए प्रभार और प्रदत्त वार्षिकी, यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद प्रदत्त क्रय मूल्य वापस करेगा।

14. अपवर्जन:

आत्महत्या:

<u>तात्कालिक वार्षिकी के लिए (केवल विकल्प ऊ और औ के लिए)</u>

यदि वार्षिकीग्राही/प्राथमिक वार्षिकीग्राही/द्वितीयक वार्षिकीग्राही (चाहे उस समय स्वस्थ हो अथवा विक्षिप्त) जोखिम के प्रारंभ की तारीख से 12 महीने के अंदर किसी भी समय आत्महत्या करता/करती है तो पॉलिसी अमान्य होगी, राशि जो प्रदत्त क्रय मूल्य के 100% अथवा अभ्यर्पण मूल्य, दोनों में जो भी अधिक है, देय होगी। निगम किसी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा।

<u>आस्थगित वार्षिकी के लिए:</u>

यदि वार्षिकीग्राही/प्राथमिक वार्षिकीग्राही/द्वितीयक वार्षिकीग्राही (चाहे उस समय स्वस्थ हो अथवा विक्षिप्त) जोखिम के प्रारंभ की तारीख से 12 महीने के अंदर किसी भी समय आत्महत्या करता/करती है तो पॉलिसी अमान्य होगी, राशि जो प्रदत्त क्रय मूल्य के 80% अथवा अभ्यर्पण मूल्य, दोनों में जो भी अधिक है, देय होगी। निगम किसी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा।

15. धोखाधड़ी, गलत बयानी और जब्ती: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

धोखाधड़ी, गलत बयानी और जब्ती के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण विवरण के लिए कृपया समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 देखें।

16. छूट का निषेध बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाये गये प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रॉस्पेक्टसों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है बशर्ते बीमा एजेंट द्वारा अपने जीवन पर अपने लिये ली गई जीवन बीमा पॉलिसी से जुड़ी बीमा एजेंट कमीशन की स्वीकृति को इस उप-खंड के अर्थ के अंदर प्रीमियम की रियायत की तब स्वीकृति नहीं माना जाएगा जब इस तरह की स्वीकृति के समय बीमा एजेंट स्थापित निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त प्रामाणिक बीमा एजेंट है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करनेवाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो दस लाख रुपये तक हो सकता है।

टिप्पणी: शर्तें लागू हैं जिनके लिए कृपया पॉलिसी दस्तावेज देखें अथवा हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

अप्रामाणिक फोन कॉलों एवं फ़र्ज़ी / कपटपूर्ण प्रस्तावों से सावधान!
आईआरडीएआई जनसाधारण के लिए स्पष्ट करता है कि
- आईआरडीएआई अथवा इसके अधिकारी न तो किसी प्रकार के बीमा या वित्तीय उत्पादों के विक्रय जैसी गतिविधियों में संबद्ध हैं और न ही प्रीमियमों का निवेश करते हैं।
- आईआरडीएआई किसी भी प्रकार के बोनस की घोषणा नहीं करता।

ऐसे फोन-कॉल प्राप्त करनेवाले जनसाधारण से अनुरोध है कि वे फोन-कॉल के विवरण व नंबर के साथ पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.
www.licindia.in
पंजीकरण संख्या : 512

एलआईसी जीवन शांति

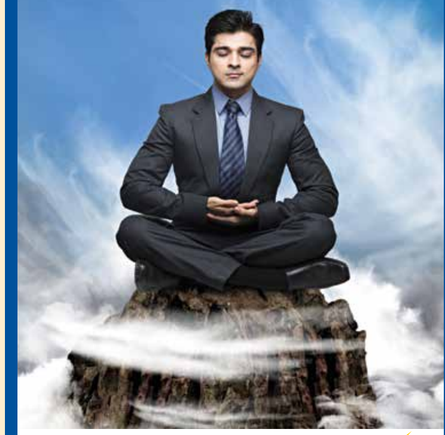

PLAN NO. 850 UIN 512N328V01

नॉन लिंक्ड, लाभरहित एकल प्रीमियम वार्षिकी योजना

विवरण हेतु संपर्क करें अपने एजेंट / निकटतम एलआईसी शाखा से या एसएमएस करें अपने शहर का नाम 56767474 पर या विजिट www.licindia.in
यह योजना ऑनलाइन भी उपलब्ध है
Follow us : You Tube LIC India Forever

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
IRDAI Regn. No. 512

ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी.

एलआईसी की जीवन शांति
(यूआईएनः 512N328V01)
(एकल प्रीमियम असंबद्ध, लाभरहित, वार्षिकी प्लान)

1. प्रस्तावनाः

- यह एक एकल प्रीमियम प्लान है जिसमें पॉलिसीधारक के पास तात्कालिक अथवा आस्थगित वार्षिकी को चुनने का विकल्प है।
- वार्षिकी दरें दोनों तात्कालिक और आस्थगित वार्षिकी के लिए पॉलिसी के प्रारंभ से ही गारंटीकृत हैं तथा वार्षिकियाँ वार्षिकीग्राही(वार्षिकीग्राहियों) के जीवन काल भर में देय हैं।
- यह प्लान ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। प्लान को ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर लॉग-ऑन करें।

2. वार्षिकी विकल्पः

तात्कालिक वार्षिकी के अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध हैं :

विकल्प A: जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी।

विकल्प B: 5 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी।

विकल्प C: 10 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी।

विकल्प D: 15 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कलिक वार्षिकी।

विकल्प E: 20 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी।

विकल्प F: क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी।

विकल्प G: 3% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज-दर की बढ़ोतरी पर जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी।

विकल्प H: जीवन भर के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही को 50% वार्षिकी के प्रावधान के साथ

विकल्प I: जीवन भर के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, दोनों में से एक उत्तरजीवी वार्षिकीग्राही को उसके जीवन भर के लिए 100% वार्षिकी के प्रावधान के साथ

विकल्प J: जीवन भर के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, किसी एक उत्तरजीवी वार्षिकीग्राही को उसके जीवन भर के लिए 100% वार्षिकी के देय होने तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी के लिए प्रावधान के साथ।

आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध हैं :

विकल्प 1: एकल जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी

विकल्प 2: संयुक्त जीवन के लिए आस्थगित वार्षिकी

3. लाभः

i) तात्कालिक वार्षिकी:

तात्कालिक वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत निम्न लाभ देय हैं:

विकल्प	लाभ
विकल्प A	• वार्षिकी के भुगतान जब तक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है, तब तक बकाया राशि के रूप में, वार्षिकी के भुगतान की चुनी हुई विधि के अनुसार किये जाएँगे। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर कोई राशि देय नहीं होगी तथा वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा।
विकल्प B, C, D, E	• वार्षिकी के भुगतान जब तक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है, तब तक बकाया राशि के रूप में, वार्षिकी के भुगतान की चुनी हुई विधि के अनुसार किये जाएँगे। • गारंटीकृत अवधि के दौरान वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी नामित व्यक्ति(यों) को गारंटीकृत अवधि के अंत तक देय होगी। • गारंटीकृत अवधि के बाद वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, कोई राशि देय नहीं होगी तथा वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा।
विकल्प F	• वार्षिकी के भुगतान जब तक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है, तब तक बकाया राशि के रूप में वार्षिकी के भुगतान की चुनी हुई विधि के अनुसार किये जाएँगे। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा तथा क्रय मूल्य नामित व्यक्ति(यों) को देय होगा।
विकल्प G	• वार्षिकी के भुगतान जब तक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है तब तक बकाया राशि के रूप में वार्षिकी के भुगतान की चुनी हुई विधि के अनुसार किये जाएँगे। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर कोई राशि देय नहीं होगी तथा वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा।
विकल्प H	• वार्षिकी का भुगतान जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है तब तक बकाया राशि के रूप में वार्षिकी के भुगतान की चुनी हुई विधि के अनुसार किया जाएगा। • प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी राशि का 50% तब तक देय होगा जब तक द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है। बाद में द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर वार्षिकी के भुगतान समाप्त होंगे।
	• यदि द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु प्राथमिक वार्षिकीग्राही से पहले होती है, तो वार्षिकी के भुगतान जारी रहेंगे और प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर समाप्त होंगे।
विकल्प I	• लागू वार्षिकी का 100% भुगतान जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकग्राही जीवित रहता/रहती है, तब तक बकाया राशि के रूप में वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी हुई विधि के अनुसार किया जाएगा। • जब तक कोई एक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है तब तक वार्षिकी की राशि का भुगतान जारी रहेगा। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर वार्षिकी के भुगतान तत्काल समाप्त होंगे तथा कोई राशि देय नहीं होगी।
विकल्प J	• लागू वार्षिकी का 100% भुगतान जब तक प्राथमिक और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है तब तक बकाया राशि के रूप में वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी हुई विधि के अनुसार किया जाएगा। • वार्षिकी का भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कोई एक वार्षिकीग्राही जीवित रहता/रहती है। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर वार्षिकी के भुगतान तत्काल समाप्त होंगे तथा क्रय मूल्य नामित व्यक्ति(यों) को देय होगा।

ii) आस्थगित वार्षिकी:

आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत निम्न लाभ देय हैं :

विकल्प	लाभ
विकल्प 1	**आस्थगन अवधि के दौरान:** • वार्षिकीग्राही के जीवित रहने पर कोई राशि देय नही होगी • वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर निम्न परिभाषित मृत्यु लाभ नामित व्यक्ति(यों) को देय होगा। **आस्थगन अवधि के बाद:** • वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी हुई विधि के अनुसार वार्षिकी की भुगतान बकाया राशि देय होगी। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर वार्षिकी के भुगतान तत्काल समाप्त होंगे तथा निम्न परिभाषित रूप में मृत्यु पर देय लाभ नामित व्यक्ति(यों) को देय होगा।
विकल्प 2	**आस्थगन अवधि के दौरान:** • प्राथमिक और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राहक के जीवित रहने पर कोई राशि देय नहीं होगी। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति(यों) को निम्न परिभाषित रूप में मृत्यु-लाभ देय होगा।
	आस्थगन अवधि के बाद: • वार्षिकीग्राही का भुगतान वार्षिकी के भुगतान के चुनी हुई विधि के अनुसार बकाया राशि के रूप में तब तक देय होगा जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर वार्षिकी के भुगतान तत्काल समाप्त होंगे तथा मृत्यु-लाभ निम्न परिभाषित रूप में नामित व्यक्ति(यों) को देय होगा।

- **मृत्यु-लाभः** मृत्यु पर देय लाभ (केवल आस्थगित वार्षिकी के मामले में लागू) वह होगा, जो निम्नलिखित में से अधिक हो
  - o क्रय मूल्य और (प्लस) उपार्जित गारंटीकृत परिवर्धनों (जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है) में से मृत्यु की तारीख तक किये गये कुल वार्षिकी भुगतान, यदि कोई हों, को घटाकर
  - o क्रय मूल्य का 110%
- **उपार्जित गारंटीकृत परिवर्धन** (केवल आस्थगित वार्षिकी के मामले में लागू): गारंटीकृत परिवर्धन प्रत्येक पॉलिसी माह के अंत में केवल आस्थगन अवधि के अंत तक ही उपार्जित होंगे। आस्थगन अवधि के दौरान गारंटीकृत परिवर्धनों के दर निम्नानुसार होंगे:

गारंटीकृत परिवर्धन प्रति माह = (क्रय मूल्य × वार्षिकी दर प्रति वर्ष मासिक तौर पर देय) / 12

जहाँ वार्षिकी दर (प्रतिवर्ष) मासिक तौर पर देय, मासिक वार्षिकी तालिका दर के बराबर होगी तथा वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) की आयु और विकल्प में दी गई आस्थगन अवधि पर निर्भर होगी।

आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने की स्थिति में पॉलिसी वर्ष, जिसमें मृत्यु घटित हो गई हो, के लिए गारंटीकृत परिवर्धन मृत्यु की तारीख पर पूरे किये गये पॉलिसी महीनों के लिए उपार्जित होगी।

4. पात्रता मानदंडः

न्यूनतम क्रय मूल्यः रु.1,50,000 नीचे विनिर्दिष्ट किये अनुसार न्यूनतम वार्षिकी के अधीन होंगे

अधिकतम क्रय मूल्यः कोई सीमा नही

टिप्पणः हालांकि एनपीएस जैसे विशिष्ट मामलों में कम क्रय मूल्य की अनुमति दी जा सकती है और यदि यह योजना इस योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार दिव्यांगजन के लाभ के लिए खरीदी गई है। एनपीएस के लिए इस तरह के मामले में वार्षिकी दर एक कमी कारक के अधीन होगी।

प्रवेश पर न्यूनतम आयुः 30 वर्ष (पूर्ण)

न्यूनतम वार्षिकीः

वार्षिकी की पद्धति	मासिक	तिमाही	छमाही	वार्षिक
न्यूनतम वार्षिकी	रु. 1000 प्रति माह	रु. 3000 प्रति तिमाही	रु. 6000 प्रति छमाही	रु. 12000 प्रति वर्ष

संयुक्त जीवनः संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार के किसी वंशज/ पूर्वज (अर्थात् दादा/दादी/नाना/नानी, माता/पिता, बच्चे, पोता/पोती/नाती/नातिन) अथवा पत्नी/पति अथवा सहोदर भाई या बहन के बीच ली जा सकती है।

मानदंड	तात्कालिक वार्षिकी	आस्थगित वार्षिकी
प्रवेश पर अधिकतम आयु	85 वर्ष (पूर्ण) विकल्प F को छोड़कर	79 वर्ष (पूर्ण)
	100 वर्ष (पूर्ण) विकल्प F के लिए	
न्यूनतम आस्थगन अवधि	लागू नहीं	1 वर्ष
अधिकतम आस्थगन अवधि		20 वर्ष, अधिकतम निहितकारी आयु के अधीन
न्यूनतम निहितकारी आयु		31 वर्ष (पूर्ण)
अधिकतम निहितकारी आयु		80 वर्ष (पूर्ण)

5. वार्षिकी के भुगतान की विधिः

तात्कालिक और आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत उपलब्ध वार्षिकी की पद्धतियाँ वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक हैं। वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में देय होगा अर्थात् वार्षिकी का भुगतान तात्कालिक वार्षिकी विकल्पों के लिए पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से तथा आस्थगित वार्षिकि विकल्पों के लिए, निहित करनेवाली तारीख से इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या वार्षिकी के भुगतान की पद्धति वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है और मासिक है, क्रमशः 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने के बाद होगा।

6. उच्चतर क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहनः

दोनों तात्कालिक और आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:

i. वार्षिकी की दर में वृद्धि के तौर पर उच्चतर क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन निम्नानुसार हैः

वार्षिकी की पद्धति	प्रति 1000/- क्रय मूल्य के लिए (रुपयों में)				
	5,00,000 से 9,99,999 तक	10,00,000 से 24,99,999 तक	25,00,000 से 49,99,999 तक	50,00,000 से 99,99,999 तक	1,00,00,000 और उससे अधिक
वार्षिक	1.50	2.10	2.45	2.60	2.70
छमाही	1.40	2.00	2.35	2.50	2.60
तिमाही	1.35	1.95	2.30	2.45	2.55
मासिक	1.30	1.90	2.25	2.40	2.50

ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऑनलाइन, एनपीएस ग्राहक एवं क्युआरओपीएस के तहत बेची गई पॉलिसियों के लिए वार्षिकी की दर में वृद्धि के तौर पर 2% की छूट भी उपलब्ध होगी।

7. वार्षिक पद्धति को छोड़कर अन्य आवृत्तियों के लिए आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत लागू समायोजन कारकः

वार्षिक पद्धति को छोड़कर अन्य आवृत्तियों के लिए आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत वार्षिकी की दर में कमी की जाएगी। यह कमी निम्नानुसार हैः

पद्धति	वार्षिकी की दर (वार्षिक) में छूट
छमाही के लिए	2%
तिमाही के लिए	3%
मासिक के लिए	4%

8. उदाहरणः

क्रय मूल्य	:	रु. 10 लाख (लागू करों को छोड़कर)
प्रवेश पर वार्षिकीग्राही की आयु	:	45 वर्ष (एलबीडी)
वार्षिकी की पद्धति	:	वार्षिक
आस्थगन अवधि	:	20 वर्ष (केवल आस्थगित वार्षिकी के लिए लागू)
प्रवेश पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही की आयु:		35 वर्ष (एलबीडी) (केवल संयुक्त जीवन वार्षिकी के लिए लागू)

वार्षिकी का विकल्प	वार्षिकी की राशि (रु.)
तात्कालिक वार्षिकी:	
विकल्प A: जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी	74,300
विकल्प B: 5 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी	74,200
विकल्प C: 10 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी	73,900
विकल्प D: 15 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी	73,500
विकल्प E: 20 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी	72,900
विकल्प F: क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी	65,400
विकल्प G: 3% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज-दर पर बढ़नेवाली जीवन भर के लिए तात्कालिक वार्षिकी	56,200